क्रम-संख्या–231

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 11 सितम्बर, 2013

भाद्रपद 20, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग–1

संख्या 456/84-1–2013-23बा0मा0-2010
लखनऊ, 11 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

प0आ0–218

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) की धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली (प्रथम संशोधन) बनाते हैं जिसे उक्त अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या 79/84-1–2013-23बा0मा0-2010, दिनांक 05 मार्च, 2013 के अधीन गजट में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 11 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 में, नियम 11 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
11(4) किसी विनिर्माता, मरम्मत करने वाले या व्यवहारी को जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस न्यूनतम एक कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक फीस के भुगतान पर एक कलेण्डर वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा।	11(4) किसी विनिर्माता, मरम्मत करने वाले या व्यवहारी को जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस **न्यूनतम एक से दस कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा**, और नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यक फीस के भुगतान पर **एक से दस कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत** किया जा सकेगा।

आज्ञा से,
दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of the clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 456/LXXXIV-1–2013-23 Ba.Ma.-2010, dated September 11, 2013 :

No. 456/LXXXIV-1–2013-23 Ba.Ma.-2010

Dated Lucknow, September 11, 2013

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Act no. 1 of 2010), the Governor after consultation with the Central Government is pleased to make the following rules, (First Amendment) the same having been previously published in the *Gazette* under Government notification no. 79/LXXXIV-1–2013-23Ba. Ma.-2010, dated March 05, 2013 as required by sub-section (4) of section 53 of the said Act.

THE UTTAR PRADESH LEGAL METROLOGY (ENFORCEMENT) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2013

Short title, extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Legal Metrology (Enforcement) (First Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 11

2. In The Uttar Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 in rule 11 *for* the existing sub-rule (4) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :–

COLUMN-I

Existing sub-rule

11(4) Every licence issued to a manufacturer, repairer, or dealer shall be valid for a minimum period of one calendar year and may be renewed for a period of one calendar year, by the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf on payment of necessary fee as specified in the Schedule-IV.

COLUMN-II

Sub-rule as hereby substituted

11(4) Every licence issued to a manufacturer, repairer, or dealer shall be valid for a **minimum period of one to ten calendar years** and may be **renewed for a period of one to ten calendar years**, by the Controller or **such** other officer as may be **authorized by him** in this behalf on **payment of necessary fee as specified in the Schedule-IV.**

By order,
DEEPAK TRIVEDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 389 राजपत्र (हि०)–2013–(805)–[illegible]99 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा० बाट माप–2013–(806)–[illegible] प्रतियां (क०/टी०/आ०)।

389 RPH Niyamawali N. V 2012 data-8